सरकारी नौकरी दी, फिर सेवा से पृथक किया, वेतन भी नहीं दिया? - खुशमारदन

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में पीड़ित खुशमारदन ने बताया गया कि मैं खुशमारदन लकड़ा आ अबदिया लकड़ा, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम तुमला, पो तुमला, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर छग, से हूँ और मुझे सरकारी सेवा से पृथक कर दिया गया है, वेतन भी नहीं मिला है, अतः न्यायोचित कार्यवाही कराकर न्याय दिलाया जावे, साथ में उसके द्वारा विधिनुसार जारी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

खुशमारदन ने कहा कि मुझे दिनॉक 27/11/2012 को के कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर छग के आदेश क्र /1 761 /जिपं /स्था /मनरेगा/2012 के अनुसार ग्राम कुडबहाल, डाकघर तुमला, तह. फरसाबहार, जिला जशपुर छ.ग. में लेखापाल के पद पर पदस्थापना कार्यालय बगीचा के तहत् नियुक्त किया गया था। मैं उक्तानुसार कार्यरत था, दिनॉक 01/03/2013 से

28/02/2014 तक के लिए मुझे सेवावृद्धि प्रदान की गई थीं, जिसके बाद कार्यवृद्धि प्रदान नहीं की गई, लेकिन मैने 18/07/2014 तक कार्य किया, जिसका वेतन भी मुझे आज दिनॉक तक भुगतान नहीं किया गया। मुझे 18/07/2014 को सेवा से पृथक कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है क्योकि इस सेवाकाल में मुझे शासन के नियमों के तहत् भुगतान प्राप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अथवा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि मेरी नियुक्ति वैधानिक रीति से हुई थीं। पीड़ित ने कहा कि यह योजना शासन की थी, जिसके सम्बंध में शासन के नियमानुसार एवं शासन के आदेश के पालनार्थ नियुक्तियॉ की गई थी, स्पष्ट है कि मैं शासन का कर्मचारी था, और मुझे शासन के नियमानुसार भुगतान प्राप्त होता था। यह भी कि उक्त रिक्तियों के लिए मैं उचित तरीके से चयनित होकर आया था, और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया, जो कि इस कथन से भी प्रमाणित है कि मुझको किसी कारण बताओं सूचना अथवा किसी शासन के आदेश की अवहेलना हेतु नहीं निकाला गया है। अतः यह आवेदन न्याय हेतु आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत कर रहे है, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके।

पीड़ित ने कहा कि मुझे दिनॉक 18/07/2014 को अचानक मेरी सेवा एवं कार्य ये पृथक कर दिया गया, विदित हो कि मेरे विरुद्ध कभी भी कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई और नाही मुझे कभी भी कोई भी कारण बताओं नोटिस् मिली है। मैने अपनी सेवाए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से की और उसके बाद मुझे मेरी सेवा से पृथक कर देना न्यायोचित नहीं है। जिस हेतु मुझे यह आवेदन सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हुई।

एस.जे.यू. से की शिकायत

मेरे प्रकरण के सापेक्ष में मुझे तत्काल न्यायिक सहायता प्रदान किया जाकर न्यायोचित क्रियांनवन् करा के सेवा में लिए जाने एवं संदर्भित वेतन दिलाए जाने की कृपा की जावे। मैं बहुत पीड़ित हूँ , असहाय हूँ , मुझे मेरे घर-परिवार हेतु रकम की आवश्यकता है, आवश्यक न्यायोचित कार्यवाही कर मेरी मदद की जावे, इसी प्रार्थना के साथ यह आवेदन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं।

नहीं हुई कोई कार्यवाही

राज्यपाल , मुख्यमंत्री छग शासन, अजय चंद्राकर, मंत्री, कलेक्टर, जशपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी, जशपुर, परियोजना अधि., एकीकृत बाल विकास परियोजना, तपकरा, को भेजा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सामाजिक न्याय संघ ने कहा कि माननीय उच्चतम् एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न आदेशों का भी उल्लेख किया जाना उचित है, जिसमें यह कहा गया है कि - किसी योजना के समाप्त होने पर सरकार कर्मियों की नौकरी समाप्त नहीं कर सकती, अपितु कार्य में लगे एवं प्रयुक्त उन कर्मचारियों को, जो कि उक्त योजना के तहत् नियुक्त किए गए थें, को समायोजित करने की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार इससे मुख फेर नही सकती है। इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के तहत् कार्यवाही होनी चाहिए अतः इस प्रकरण को पुनः अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है।

और एक शिकायत चिटफंड कम्पनी ए.ए.पी.एल. कोलकाता के विरुद्ध

चिटफंड में इन्वेस्ट रकम को वापस दिलाने हेतु शासन गंभीर नहीं ? नामजद रिपोर्ट होने पर भी भला क्यों नहीं करती पुलिस कार्यवाही ?

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में बताया गया कि चिटफंड कम्पनी "अग्रदूत एजेंस्सीस् प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता" द्वारा 7,15000/- अक्षरांक सात लाख पन्द्रह हजार रुपये जमा रखने, 3 महीने के बाद रकम वापस करने एवं इस सम्बंध में 6 प्रतिशत ब्याज के आश्वासन देने के बाद भी, रकम पर ब्याज नहीं दी जा रही, उन्होने रकम मूलधन को मांगे जाने पर नहीं दिए जाने की स्थिति में, विधिक सहायता प्रदान कराए जाने हेतु भी निवेदन किया है।

अपने आवेदन में ''बुधनाथ राम'' आ. लालदवे राम, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम आम्बाटोली, पो. जांमचुआ, थाना नारायणपुर, जिला जशपुर, छ.ग. पिन 496225, ने बताया कि मुझे अमरदास के द्वारा फोन करके बुलाया गया था, मेरे पहुँचने पर उक्त अमरदास के साथ वहॉ अरविंद सिंह भी उपस्थित था। जिनके द्वारा मुझे दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर से मिलवाया गया, उक्त दोनों दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर द्वारा मिलकर मुझे एक कम्पनी ''अग्रदूत एजेंस्सीस् प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता'' के बारे में बताया और अधिक ब्याज एवं मूलधन की वापसी के सम्बंध में कम्पनी के विभिन्न प्लॉन के सम्बंध में जानकारी दी और कहा कि आप इसमें रकम लगाईये बाकी जिम्मेदारी हमारी है।

अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया कि उनके कहने से और उनके द्वारा कम्पनी के सम्बंध में दी गई जानकारियों से मैं संतुष्ट हो गया और अपने गॉव के लोग है, धोखा नहीं होगा सोचकर मेरे द्वारा 50000/- रुपये अक्षरांक पचास हजार रु. उक्त कम्पनी में जमा जमा किए गए जिसकी रसीद संलग्न है। जिसपर मुझे बताया गया कि 3 महीने के बाद आप यह रकम वापस ले सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि इस रकम पर आपको 6 प्रतिशत मासिक ब्याज भी प्राप्त होगा। कुछ दिन तक मुझे उक्तानुसार 6 प्रतिशत की दर से 3000/- अक्षरांक तीन हजार रुपये ब्याज दो माह तक मिलता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे ब्याज मिलना बंद हो गया, जिसके बाद मैने उक्त दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर से बारंबार इस मामले को कहा गया लेकिन मुझे ब्याज नहीं मिला एवं मूलधन के लिए कहे जाने पर भी मुझे आज दिनॉक तक, मेरे मूलधन की रकम को भी वापस नहीं किया गया, जिससे मैं बेहद परेशान हूं।

एस.जे.यू.से की शिकायत

मेरे द्वारा मेरे पति के द्वारा लगातार मूलधन एवं ब्याज की मांग किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, अतः यह आवेदन न्याय हेतु आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत कर रहे है, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके। कहा कि आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं , और बहुत परेशान हूं,, तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

आजतक नहीं हुई कोई कार्यवाही

रजिस्टर्ड पोस्ट से राज्यपाल , राजभवन, छ.ग. शासन, राज्यपाल राजभवन, कोलकाता, प.बंगाल, मुख्यमंत्री , छ.ग. शासन, छ.ग. मुख्यमंत्री कोलकाता, प.बंगाल, मुख्यमंत्री कलेक्टर, जशपुर, एस.पी. जशपुर एवं थाना प्रभारी, थाना कुनकुरी छ.ग.।

नाबालिग घर से भागी जुर्म दर्ज

न्यायसाक्षी/रायगढ़। बेहरापाली की एक नाबालिंग लड़की घर से दिशा मैदान के लिये कल सुबह निकली तो फिर वापस नहीं आयी ।लड़की दसवी की छात्रा है ओर उम्र 16 साल है । गांव वालो का कहना है की कल शाम लड़की को किसी युवक के साथ स्कूटी मे घुमते देखा गया है । परिजनो ने चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी पुलिस नें 363 का मामला कायम किया है ।

40 क्विटल धान जल कर हुआ स्वाहा

न्यायसाक्षी/रायगढ़। गौराम सिदार द्वारा 4.5 एकड़ जमीन से धान कटाई कर लगभग 90 बोरा (40 क्विंटल)छुई पाली जामगाव मे धान मिसाई के लिऐ 3 जनवरी को इकट्ठाह किया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दि गयी। सुबह 5 बजे अशोक प्रधान ने धान को जलते देखा और गौराम को सूचित किया। उक्त प्रकरण मे पुलिस द्वारा आगजनी का मामला कायम किया गया है

12साल की बच्ची से कुकर्म करने वाले को हुयी दस साल की सजा

न्यायसाक्षी/रायगढ़।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक ममता शुक्ला ने 12साल की बच्ची को बहला फुसला कर उसे चांपा व अमृतसर ले जाकर बलात्कार करने वाले जांजगीर कोटेतरा के संजय श्रीवास को दस साल की सश्रम कारावास से दंडित किया है .2 जुलायी 15 को बालिका स्कूल का होमवर्क करने सहेलियों के साथ गयी थी वापस नहीं आने पर खोज बीन की गयी तो पता चला की आरोपी नाना का पैर फेक्चर हो गया है इसलिये वह घर पहुचां दूगा कह कर बालिक को अपने साथ ले गया और चांपा वेटिंग हाल व अमृतसर में उससे उसकी इच्छा के विपरित बलात्कार किया ।गवाहों के कथन व मेडिकल रिपोर्ट में मामला सिध्द पाया गया जिसमें पास्को एक्ट मे 10 साल व 5हजार का जुर्मान व 366 में 7साल व 5हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।जुर्माने की राशि में से 8 हजार रुपये प्रतिकर के रुप में बालिका को दिये जायेगे् ।अभीरक्षा मे गुजारी गयी अवधि मूल सजा में समायोजित की जायेगी ।

बाइक की ठोकर से घायल युवक की मौत

न्यायसाक्षी/रायगढ़। जिला जेल रायगढ के पास रहने वाला भोगीलाल राठिया 2 जनवरी की रात्रि अपनी पत्नी सोहदा राठिया के साथ घर से निकल कर ओवरब्रीज के नीचे सब्जी लेने जा रहे थे तो जेल काम्प्लेक्स सामने मेन रोड़ में टाऊन तरफ से आ रही अज्ञात मोटर सायकल ने भोगीलाल को ठोकर मारकर भाग गया, जिससे आई चोट से भोगीलाल की मृत्यु हो गयी घटना के संबंध में थाना कोतवाली में कल 174 जा.फौ. दर्ज कर जांच पंचनामा कार्यवाही पश्चात 304 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

मोटर सायकलों की भिडंत में बालिका घायल

न्यायसाक्षी/रायगढ़।घरघोडा के ग्राम भालूमार निवासी निरंकार गुप्ता 27दिसंबर को अपने मोतर सायकल क्र सीजी 16 सीबी 3653 में अपनी लड़की टेकेश्वरी गुप्ता के साथ गांव पना से भालूमार आ रहा था कि शाम 4 बजे घरघोडा की ओर से आ रही मोटर सायकल क्र. सीजी 13 ओबी 0945 का चालक बादशाह खान निवासी घरघोडा ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए निरंकार गुप्ता को एक्सी डेंट कर दिया,जिससे टेकेश्वरी गुप्ता के दोनों पैंर, दाहिने हाथ, कंधे के पास चोट आयी है उसे सीएचसी घरघोडा में प्राथमिक उपचार के बाद रायगढ़ रिफर किया गया है रिपोर्ट पर थाना घरघोडा में279,337 भादंवि दर्ज कर लिया गया ।

बिजली चोरी का जुर्म दर्ज

न्यायसाक्षी/रायगढ़। कनिष्ठ यंत्री छ.रा.वि.विभाग मर्यादित रायगढ (ग्रामीण) में पदस्थ उपयंत्री लक्ष्मीकांत पटेल ने थाना पूंजीपथरा में गंगा प्रसाद धोबा पूंजीपथरा के विरूद्ध निम्न दाब लाईन से डायरेक्ट हुकिंग कर कुल भार 2016 वाट विधुत का अवैध उपयोग करने की रिपोर्ट पर धारा 135(1) (अ) विधुत अधिनियम दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

अब कार्ड स्वाइप कर जुर्माना का कर सकते हैं भुगतान

न्यायसाक्षी/रायगढ़ ।
अब कार्ड स्वाइप कर जुर्माना का भी भुगतान कर सकते है। इसके लिए पुलिस विभाग ने एसडीएफसी बैंक से एक प्रपोजल मंगाया गया। जिसमें स्वाइप मशीन लगाने से लेकर उसके पूरी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी गई है। ऐसे में बैंक द्वारा प्रपोजल आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है।

नोटबंदी के बाद कैशलैश को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस विभाग भी कैशलैस होने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा हेलमेट कार्रवाई या अन्य मामले में चालान काटकर रकम लिया जाता था। अब चालान कटने के बाद कार्ड स्वाइप कर जुर्माना का भुगतान कर सकेगे। इसके लिए विभाग द्वारा स्वाइप मशीन लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक से मशीन व चार्जेस के संबंध में एक प्रपोजल मंगाया गया है। ताकि विभाग को इसबात की जानकारी मिल सके कि पीओएस मशीन लगाने के बाद क्या चार्जेस देना होगा। विभाग के अधिकारियों की माने तो जुर्माना पटाने के लिए कितने मशीन का आर्डर दिया जाएगा। इसके संबंध में कोई अभी खुलासा नहीं कर रहे है। बैंक से पूरी जानकारी आने के बाद मशीन का आर्डर देने की बात कही जा रही है।

पुलिस कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण

कैशलैश को बढ़ावा देने के लिए कार्ड का स्वाइप मशीन का अधिक से अधिक उपयोग करने के आदेश के बाद पुलिस विभाग ने भी पुलिस के अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में अलग-अलग कर के कर्मचारियों को कैशलैस के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था।

विधायक ने किया धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण

खरसिया । जोबी धान खरीदी केन्द्र के कृषकों ने प्रति क्विंटल ढाई से तीन किलो अधिक धान खरीदने का शिकायत किया है। स्थल निरीक्षण के दौरान विधायक उमेश पटेल की उपस्थिति में तौले गए धान के बोरों की जांच की गई। जिसमें 41 किलो 200 ग्राम से लेकर 41 किलो 500 ग्राम तक प्रति कट्टी (40 किलो बोरी) पाया गया। किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध विधायक उमेश पटेल ने खरीदी केन्द्र प्रभारी को सख्त हिदायत दी कि प्रति कट्टी 40 किलो ही धान लिया जाए। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी विधायक ने दूरभाष के माध्यम से की। निरीक्षण के दौरान विधायक उमेश पटेल के साथ पूर्व मंडी अध्यक्ष रविन्द्र पटेल, रामदयाल राठिया, पूर्व उपाध्यक्ष अवध पटेल सहित अन्य उपस्थित रहें।

चार दिन की दोस्ती में किया बलात्कार

न्यायसाक्षी/रायगढ़ ।
नाबालिग लड़के द्वारा 24 वर्षीय युवती को साइकिल में लिफ्ट दिया। फिर मोबाइल नंबर से बातचीत हुई। जिसके बाद नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा मामले की शिकायत पर चक्रधरनगर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेगडा की 24 वर्षीय युवती शहर में आकर बर्तन धोन का काम करती है। बताया जा रहा है कि दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में युवती अपने घर जा रही थी। उसी दौरान नाबालिग साईकल से उसी ओर जा रहा था। जिसपर युवती ने लिफ्ट मांगी। लड़के ने उसे लिफ्ट देकर घरतक छोड़ दिया, इस बीच दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया।

जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। एक जनवरी को 16 वर्षीय लड़के ने युवती को मिलने बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती किया। दूसरे दिन सुबह फिर उसके द्वारा युवती से जबरदस्ती किया। ऐसे में बुधवार को युवती ने चक्रधरनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को पकड़कर उसके विरुद्ध धारा 376 दर्ज कर लिया है।

मुझसे नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई - संतोष यादव

सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में पीड़ित ने बताया गया कि- मैं संतोष कुमार यादव आ. श्री हेतराम यादव यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम भद्रा पो. पासीद तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग. पिन 496445 से हूँ , मुझसे नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, अतः न्यायोचित कार्यवाही कराकर न्याय दिलाया जावे, साथ में उसके द्वारा विधिनुसार जारी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में संतोष कुमार यादव ने बताया कि मेरे साथ रामेश्वर चैहान आ. कतलु चैहान, ग्राम मरारपारा, सोनियाडीह, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार (छ.ग.) ने धोखाघड़ी की है। उक्त रामेश्वर चैहान ने मुझसे 2016 में छात्रावास अधीक्षक भर्ती के तहत् पद दिलवा दूँगा, कहकर रु. 80,000/- अक्षरांक अस्सी हजार रुपये की मांग की। मेरे द्वारा पूछे जाने पर कि मुझको आप कहॉ पर नौकरी दिलवाओं गे उसने कहा कि विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर छग में दिलवा दूँगा, जिसपर मुझे विश्वास हो गया। इसके बाद मैंने दिनॉक 01/06/2016 को रु 80,000/- अक्षरांक अस्सी हजार रुपये उक्त रामेश्वर चैहान को दिए।

पीड़ित ने कहा कि इसके बाद रामेश्वर ने मुझसे मेडिकल सर्टिऊफिकेट मांगा और एक रजिस्टर दिया और उसमें 161 अधीक्षकों के नाम हैं कहा, और

आप परिवेक्षक है, कहा, आपका काम यह है कि आप अधीक्षकों की हाजरी भरिए, तो मैंने उसके कथनानुसार हाजरी भर दी, जिसकी फोटोकॉपी उसके द्वारा पेंशनबाड़ा मंत्रालय भेजी जानी है, कहा। जो मैंने भेज दी, इसके बाद मुझे कहा कि साहब पेमेंट नहीं कर रहा मेडिकल भिजवा दो, जिसे मेरे द्वारा भिजवायो गया। हम उसके द्वारा कहे गए और कार्य करते रहे, लेकिन मुझको किसी प्रकार की नियुक्ति होने की सम्भावना नही लग रही थीं। मुझको लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मैंने बारंबार रामेश्वर चैहान आ. कतलु चैहान से रकम वापस किए जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं लौटाई है, जिस हेतु इस आवेदन की आवश्यकता हुई।

एस.जे.यू. से की शिकायत

मेरे विरुद्ध की गई धोखाघड़ी के सापेक्ष में मुझे तत्काल न्यायिक सहायता प्रदान किया जाकर न्यायोचित क्रियांनवन् करा के सेवा में लिए जाने एवं संदर्भित वेतन दिलाए जाने की कृपा की जावे। मैं बहुत पीड़ित हूँ , असहाय हूँ , मुझे मेरे घर-परिवार हेतु रकम की आवश्यकता है, आवश्यक न्यायोचित कार्यवाही कर मेरी मदद की जावे, इसी प्रार्थना के साथ यह आवेदन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं।

नहीं हुई कोई कार्यवाही

राज्यपाल , मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, एसपी रायगढ़, एसपी बलौदाबाजार, थाना प्रभारी, थाना कोसीर, थाना प्रभारी, थाना भटगॉव, जिला बलौदाबाजार, छग को प्रकरण भेजा गया है, लेकिन आज दिनॉक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।